

आदेश

उपार्जित दूध की गुणवत्ता में सुधार किये जाने एवं उच्चतम फैट/एस0एन0एफ0 का दूध देने वाले उत्पादकों को अधिकतम दुग्ध मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दी गई स्वीकृति के कम में दिनांक 09.11.17 की प्रातः से दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध क्य दर पद्धति निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :—

1. दुग्ध क्य दर निर्धारण हेतु 5% फैट से कम आने वाले दूध की कीमत Two Axis पर क्य किया जायेगा एवं 8.30 रु एस0एन0एफ0 से कम का दूध क्य नहीं किया जायेगा।
2. दुग्ध क्य दर निर्धारण हेतु 5% फैट या उससे ऊपर आने वाले दूध की कीमत प्रोरेटा के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं 8.50 एस0एन0एफ0 से कम दूध क्य नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(राजकुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि०,

29 पार्क रोड लखनऊ

पत्रांक: २८३१/डी-१/पीएन्डआई/दुग्ध क्य दर / १७-१८

दिनांक: ४, 11.2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. इकाई प्रभारी समस्त दुग्ध संघ उ०प्र०।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, पी०सी०डी०एफ० मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विभाग उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक पी०सी०डी०एफ० लि०, लखनऊ।
- 5.. अपर दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ।
6. दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश शासन

(राजकुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक